

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 539/2019

मामला संख्या-150 वर्ष-2015 थाना- दानापुर जिला- पटना से उत्पन्न

विक्की कुमार, शंकर राय का पुत्र, निवासी-गजाधर चक, गोला रोड, थाना- दानापुर, जिला- पटना.

अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

प्रतिवादी/गण

साथ में

आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 47/2019

पीएस कांड संख्या-150 वर्ष-2015 थाना-दानापुर जिला-पटना से उत्पन्न.

एतवारी देवी शंकर राय उर्फ उदय शंकर राय ग्राम-गजाधर चक गोला रोड

...अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

... प्रतिवादी/गण

साथ में

आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 81/2019

पीएस कांड संख्या-150 वर्ष-2015 थाना-दानापुर जिला-पटना से उत्पन्न.

उदय शंकर राय उर्फ उदय शंकर प्रसाद, स्वर्गीय लाल मुन्नी राय, निवासी- गजधर चक, गोला रोड, थाना- दानापुर।

अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.... प्रतिवादी/गण

उपस्थिति:

(आपराधिक अपील संख्या 539/2019 में)

अपीलकर्ता की ओर से	:	श्री सुमीत कुमार सिंह, अधिवक्ता सुश्री अल्का सिंह, अधिवक्ता श्री श्रीराम सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से:	:	श्री बिपिन कुमार, अपर लोक अभियोजक
शिकायतकर्ता की ओर से:	:	श्री सुधांशु भूषण, अधिवक्ता

(आपराधिक अपील संख्या 47/2019 में)

अपीलकर्ता की ओर से:	:	श्री सुमीत कुमार सिंह, अधिवक्ता सुश्री अल्का सिंह, अधिवक्ता श्री श्रीराम सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से:	:	श्री बिनोद बिहारी सिंह, एपीपी
शिकायतकर्ता की ओर से:	:	श्री सुधांशु भूषण, अधिवक्ता

=====

 (आपराधिक अपील संख्या 81/2019 में)

अपीलकर्ता की ओर से	:	श्री सुमीत कुमार सिंह, अधिवक्ता सुश्री अल्का सिंह, अधिवक्ता श्री श्रीराम सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री बिनोद बिहारी सिंह, एपीपी
शिकायतकर्ता की ओर से	:	श्री सुधांशु भूषण, अधिवक्ता

=====

अपील - दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/34 और 302/34 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया।

निर्णय - अभियोजन पक्ष ने घटना से कुछ समय पहले अभियुक्तों द्वारा 50,000/- रुपये की दहेज की मांग को उचित रूप से साबित किया है। (पैरा 27)

मृतक के निधन से पहले संघर्ष के लक्षण थे। इस प्रकार, हम यह मानते हैं कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के सभी तत्वों को सही तरीके से साबित किया है। (पैरा 28)

मृतक अपने ससुराल में, यानी अभियुक्त के घर में मरी थी। उसकी मृत्यु विवाह के 3-4 साल के भीतर हुई थी। इसलिए, यह अभियुक्त पर है कि वह ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करे कि संबंधित समय पर वह मृतका के साथ उस घर में नहीं था या घटना के समय वह घर में या उस क्षेत्र में नहीं था। - अभियुक्त ने कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी अभियुक्त का यह मामला नहीं है कि मृतका ने आत्महत्या की थी। इस प्रकार, हम यह मानते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत प्रावधान लागू होंगे। (पैरा 30)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 38)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

समक्ष:माननीय न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(माननीय न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली द्वारा)

तिथि: 19-07-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, दानापुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 87/2017 में पारित दिनांक 12.12.2018 के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 17.12.2018 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जो दानापुर पीएस केस संख्या 150/2015 दिनांक 16.03.2015 से उत्पन्न है, जो जीआर केस संख्या 914/2015 के अनुरूप है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को आईपीसी की धाराओं- 304बी/34 और 302/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और आईपीसी की धारा- 304बी/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और आजीवन कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दस-दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

2. सर्वप्रथम अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया कि अपीलकर्ता एतवारी देवी (सीआरपीसी अपील (डी.बी.) संख्या 47/2019 में) तथा अपीलकर्ता उदय शंकर राय उर्फ उदय शंकर प्रसाद (सीआरपीसी अपील (डी.बी.) संख्या 81/2019 में) की वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है।

3. इस प्रकार सीआरपीसी अपील (डी.बी.) संख्या 47/2019 तथा सीआरपीसी अपील (डी.बी.) संख्या 81/2019 निरस्त मानी जाती है।

4. सीआरपीसी में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमीत कुमार सिंह को सुना गया। अपील (डी.बी.) संख्या 539/2019, जिसमें प्रतिवादी राज्य की ओर से सुश्री अलका सिंह और श्री श्रीराम सिंह तथा श्री बिपिन कुमार और श्री बिनोद बिहारी सिंह, विद्वान ए.पी.पी. तथा सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुधांशु भूषण ने सहयोग किया।

5. वर्तमान अपील दायर करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

“सूचनाकर्ता की बहन मालती कुमारी, उम्र 25 वर्ष, की शादी लगभग 3-4 वर्ष पूर्व विक्की कुमार, पुत्र शंकर राय, निवासी गोला रोड, गजाधर चक से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी तथा तरह-तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उत्पीड़न में मुख्य रूप से विक्की कुमार पुत्र शंकर राय, एतवारी देवी पत्नी शंकर राय तथा शंकर राय पुत्र अज्ञात शामिल थे, जिन्होंने लगभग आठ दिन पूर्व 50,000/- रुपये दहेज की मांग की थी तथा मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। दिनांक 16.03.15 को उपरोक्त व्यक्तियों ने दहेज के लिए उसकी बहन की हत्या कर दी तथा शव को पंखे से लटका दिया।”

6. एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 87/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने केवल उन हितबद्ध गवाहों से पूछताछ की जो मृतक के नजदीकी रिश्तेदार हैं। अभियोजन पक्ष अपने मामले का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा। आगे यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बड़े

विरोधाभास और विसंगतियां हैं। आगे यह दलील दी गई कि यद्यपि सूचक पी.डब्लू. 1 द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता ने व्यवसाय चलाने के लिए 50,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी न होने पर अपनी बहन को दी गई यातना के लिए उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। आगे यह दलील दी गई कि पी.डब्लू. 1 ने जिरह के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उसके पास वर्तमान अपीलकर्ता के माता-पिता द्वारा की गई मांग का कोई सबूत नहीं है। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्लू. 2 मनीषा देवी के बयान का भी हवाला दिया है, जो मृतक की भाभी है। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान कहा है कि विवाह के समय विक्की कुमार (अपीलकर्ता) बेरोजगार था और इस कारण उसकी भाभी विवाह से संतुष्ट नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्लू. 4 सीता देवी (मृतका की मां) की जिरह से यह भी बताया कि उक्त गवाह ने यह भी कहा है कि मृतका विवाह से खुश नहीं थी क्योंकि विवाह के समय उसका पति बेरोजगार था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्लू. 4 के बयान के अनुसार मृतका अपने पति के साथ एक घंटे के लिए अपने माता-पिता के घर जाती थी और उसके साथ वापस आती थी। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दहेज की मांग के संबंध में आरोप विधिवत साबित नहीं हुआ है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष भी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में निहित प्रावधानों के तत्वों को पुख्ता सबूतों के आधार पर साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष यह बताने में विफल रहा है कि मृतक की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न हुआ था, जिसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर **बख्शीश राम और अन्य बनाम** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। **पंजाब राज्य, (2013) 4 एससीसी 131** में रिपोर्ट किया गया।

9. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री सुमीत कुमार सिंह ने आगे प्रस्तुत किया कि, वर्तमान मामले में, प्रश्नगत घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह तर्क दिया गया है कि यह सच है कि मृतका की मृत्यु उसके वैवाहिक घर में, यानी अपीलकर्ता के आवासीय स्थान पर हुई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह पहले साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 के तहत सबूत का भार वहन करे और उसके बाद ही आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करनी है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष भार वहन करने में विफल रहा है और, इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 में निहित प्रावधान लागू नहीं होंगे।

10. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्ल्यू द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया। 5, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास। यह प्रस्तुत किया गया है कि, डॉक्टर द्वारा दी गई राय के अनुसार, मौत का कारण सॉफ्ट लिगेचर के कारण फांसी के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है, जिसके परिणामस्वरूप कार्डियो-थ्रसिन गिरफ्तारी हुई। इस स्तर पर, यह तर्क दिया गया है कि हत्या के लिए फांसी और आत्महत्या के लिए फांसी के बीच अंतर है और दोनों के लक्षण अलग-अलग हैं। उक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने जयसिंह पी. मोदी द्वारा लिखित "मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक, 27 वां संस्करण" का उल्लेख किया है। विद्वान वकील ने उक्त पुस्तक के अध्याय-19, पृष्ठ-456 का अधिक विशेष रूप से उल्लेख किया है। विद्वान वकील ने उक्त अध्याय के प्रासंगिक पृष्ठ प्रदान किए हैं।

10.1. उक्त पुस्तक के पृष्ठ-456 के साथ-साथ पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामला आत्महत्या का है न कि हत्या का, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह

किया कि विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा-302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय गंभीर त्रुटि की है।

10.2. इसके बाद विद्वान वकील ने शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, (2021) 5 एससीसी 626 में रिपोर्ट किया गया। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और आरोपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

11. दूसरी ओर, विद्वान ए.पी.पी. साथ ही सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया है। मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने फर्दबयान में सूचक द्वारा लगाए गए आरोप का समर्थन किया है। घटना से चार दिन पूर्व दहेज की मांग के संबंध में सूचक द्वारा विशेष आरोप लगाया गया है। केवल इसलिए कि 50,000/- रुपये की मांग के लिए कोई शिकायत नहीं की गई थी, अपीलकर्ता/आरोपी को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि जब घटना से दो से चार दिन पहले अपीलकर्ता को 50,000/- रुपये की राशि नहीं दी गई थी, तो प्रश्नगत घटना घटित हुई। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ताओं ने मृतक के शव की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया है। जांच रिपोर्ट में कॉलम-4 में लिखा है, 'कमरे में पंखे के हुक से लटका हुआ, पैर बिस्तर को छू रहे हैं, रंग गोरा, आंखें खुली हैं, काली जीभ निकली हुई है, दाहिनी मुट्ठी काले बालों को जकड़े हुए है।

12. यह भी तर्क दिया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मृतक के साथ अपीलकर्ता और ससुराल वालों ने उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में बुरा व्यवहार किया था। इसलिए, विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके भारतीय दंड संहिता की धारा-304 बी के तत्वों

को साबित कर दिया है। मृतका की अपीलकर्ता के साथ शादी के 3-4 साल की अवधि के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हुई है और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा-304 बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा-113 बी के तहत की गई धारणा लागू होगी।

13. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि जांच अधिकारी सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि शव कमरे में छत के पंखे के हुक से लटका हुआ था, पैर बिस्तर को छू रहे थे, रंग गोरा था, आंखें खुली हुई थीं, काली जीभ निकली हुई थी, दाहिनी मुट्ठी काले बालों को जकड़ रही थी।

14. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार, उक्त साक्ष्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला आत्महत्या का नहीं है, बल्कि यह एक हत्या थी। यह आगे कहा गया है कि मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* करने वाले डॉक्टर पी.डब्लू. 5 द्वारा दिए गए बयान से, अभियोजन पक्ष ने विधिवत रूप से स्थापित किया है कि वर्तमान मामला हत्या की मौत का है और इसलिए, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध करने का मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। इस स्तर पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 के तहत सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह बचाव नहीं किया है कि वर्तमान मामला आत्महत्या का है। अभियोजन पक्ष के गवाहों को इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया था और न ही अदालत के समक्ष धारा-313 सीआरपीसी के तहत बयान देते समय ऐसा बचाव किया गया था। इसलिए, विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने आरोपित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए, विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि अपील को खारिज कर दिया जाए और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश की पुष्टि की जाए।

15. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है।

16. इस स्तर पर हम अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्यों के प्रासंगिक अंशों का अवलोकन करना चाहेंगे।

17. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष ने भी 1 गवाह से पूछताछ की है।

18. पी.डब्ल्यू. 1 पंकज कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसने यह मामला दर्ज कराया है। मालती देवी उसकी बहन थी, जिसकी शादी 2011 में दानापुर के गोला रोड निवासी विक्की कुमार से हुई थी तथा वह अपने ससुराल में रह रही थी। विक्की कुमार दहेज की मांग करने लगा। उसके माता-पिता उदय शंकर राय तथा एतवारी राय भी दहेज की मांग करने लगे तथा मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करते थे। अंत में उन्होंने 50,000 रुपये की मांग की। 2-4 दिन बाद वार्ड पार्षद ने बताया कि उनकी बहन ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। जब वे वहां गए तो देखा कि उनकी बहन पंखे से लटकी हुई है और उसके पैर जमीन को छू रहे थे। उन्होंने बताया कि पैर चारपाई को छू रहे थे। इसके बाद एस.एच.ओ. मौके पर पहुंचे और शव को खोलकर दानापुर अस्पताल ले गए। उनकी मौजूदगी में अस्पताल में उनकी बहन का *पोस्टमार्टम* किया गया। दरोगा जी ने अपना बयान दर्ज किया। फर्दबयान एस.आई. नवीन कुमार ने दर्ज किया। उन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया। उन्होंने अपने हस्ताक्षर (एक्सटेंशन 1) की पहचान की। दरोगा जी ने अपना दोबारा बयान दर्ज किया। उन्होंने अदालत में मौजूद आरोपी विक्की कुमार, एतवारी देवी और उदय शंकर की पहचान की।

18.1. जिरह में उसने बताया कि उसने घटना नहीं देखी थी। उसे घटना की सूचना वार्ड पार्षद ने शाम करीब 6 बजे फोन पर दी थी। हालांकि उसे वार्ड पार्षद का नाम या फोन नंबर याद नहीं है। वह आधे घंटे में गजाधर चक पहुंच गया था, लेकिन उसे समय याद नहीं है। जब वह वहां पहुंचा, तब तक करीब 100 लोग घटनास्थल पर जमा हो चुके थे। वह अकेले गजाधर चक गया था। उसने आगे बताया कि विक्की कुमार ने कारोबार चलाने के लिए 50 हजार रुपये मांगे थे। मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को दी गई प्रताड़ना के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। विक्की कुमार के माता-पिता द्वारा की गई मांग का उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसने यह भी बताया कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। दानापुर थाने के एस.एच.ओ. द्वारा चाकू से रस्सी काटकर उनकी उपस्थिति में शव को खोला गया तथा शव को दानापुर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस घटनास्थल पर उनका बयान दर्ज नहीं कर सकी, बल्कि उनका बयान अस्पताल में 8-9 बजे दर्ज किया गया। लगभग एक सप्ताह बाद उनका पुनः बयान दर्ज किया गया। उन्होंने अपने बयान तथा पुनः बयान में यह स्वीकार किया है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहन को पंखे से लटकते हुए देखा तथा उनके पैर चारपाई को छू रहे थे। उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि उनकी बहन की हत्या नहीं की गई, बल्कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है तथा अभियुक्तों को गलत इरादे से इस मामले में फंसाया गया है।

19. पी.डब्ल्यू. 2 मनीषा देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मालती देवी उनकी भाभी (ननद) थीं। उसकी शादी 2011 में विक्की कुमार से हुई थी। उसने बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने के नाम पर मालती देवी को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उन्होंने मांगे गए पैसे का कुछ हिस्सा दे दिया था, लेकिन आरोपी और अधिक मांग करने लगे। पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने पर उसकी सास सीता देवी, ननद मंजू देवी, शांति देवी और सुनी देवी दानापुर अस्पताल गईं। इससे

पहले वह और उसकी मां उर्मिला मालती देवी के ससुराल गईं। उन्होंने मालती देवी को पंखे से लटकते देखा और पुलिस ने उसकी ननद को उतारा। पुलिस ने अस्पताल में उससे पूछताछ की। उसने आरोपी विक्की, शंकर सिंह और विक्की की मां (नाम ज्ञात नहीं) को पहचान लिया।

19.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि वर्तमान मामला उसके पति ने दर्ज कराया है। शादी के समय विक्की बेरोजगार था, जिस कारण उसकी भाभी शादी से संतुष्ट नहीं थी। उसने आगे कहा है कि उसकी भाभी की मृत्यु शादी के साढ़े तीन साल बाद हो गई। इस दौरान वह बीच-बीच में मायके आती-जाती रहती थी। उसका पति उसे वापस ले जाता था। अंत में वह अपनी मौत से दो महीने पहले मायके आई थी। इस साक्षी ने कहा है कि उसने यह घटना अपनी आंखों से नहीं देखी है। परिवार के सदस्य उसकी भाभी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इस साक्षी, उसके पति, उसकी सास और भगिना धनंजय कुमार के बयान अस्पताल में दर्ज किए गए। उसके चचेरे भाई जिसने उसकी भाभी की मौत की सूचना दी थी उसका नाम अनिल कुमार है। इस साक्षी ने पुलिस के समक्ष यह कहा है कि उसकी बहन के ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे तथा उसे ताने मारते-पीटते थे। वे पैसे की मांग भी करते थे तथा मांग पूरी न होने पर उसे पीटते थे। उसकी मृत्यु से पूर्व उन्होंने मोटी रकम की मांग की थी, जिसे पूरा नहीं किया जा सका। उसने इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्तों ने मालती देवी की हत्या नहीं की है तथा इस साक्षी के पति ने किसी गुप्त उद्देश्य से अभियुक्तों को इस मामले में झूठा फंसाया है।

20. पी.डब्ल्यू. 3 धनंजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मालती कुमारी उसकी मौसी थी। उसकी शादी दानापुर में विक्की कुमार से हुई थी। विवाह के 5-6 महीने बाद ही ससुराल वाले विक्की कुमार, उसके पिता शंकर तथा उसकी मां एतवारी देवी दहेज की मांग करने लगे तथा इस आधार पर उसे प्रताड़ित करते थे। 15.03.2015 को उसके

मामा पंकज कुमार ने उसे सूचना दी कि मालती के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है और शव को पंखे से लटका दिया है। उसने मालती कुमारी को मृत अवस्था में देखा। पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। उसने न्यायालय में उपस्थित आरोपी विक्की कुमार, शंकर राय और एतवारी देवी की पहचान की है।

20.1. अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा है कि सूचक पंकज कुमार उनके मामा हैं। जब वे मालती कुमारी के ससुराल गए थे, तो उनकी मौजूदगी में मालती कुमारी को कभी नहीं पीटा गया था। उन्होंने पुलिस के समक्ष यह स्वीकार किया है कि विवाह के 5-6 महीने बाद विक्की कुमार, उसके पिता शंकर राय और उसकी मां एतवारी देवी ने दहेज के लिए मालती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पुलिस के समक्ष यह भी स्वीकार किया है कि आरोपियों ने 10,000/- से 50,000/- रुपये के बीच की रकम की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया करते थे। उन्होंने सूचक की भगिना होने के नाते झूठा बयान देने की बात से इनकार किया है।

21. पी.डब्ल्यू. 4 सीता देवी है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मालती कुमारी उसकी बेटी थी, जिसकी शादी 7 साल पहले विक्की कुमार से हुई थी। विक्की कुमार, उसके पिता शंकर राय और उसकी मां एतवारी देवी दहेज की मांग करते थे और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। वे धमकी भी देते थे कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे मालती को मार देंगे या विक्की की दूसरी शादी कर देंगे। उसने आगे कहा है कि उसके पति और उसके माता-पिता ने मालती की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। वह मालती के ससुराल गई थी और देखा कि उसके हाथ-पैर पर चोट के निशान थे और शव को दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकाया गया था। पुलिस ने भी शव को फंदे से लटका हुआ देखा था। पुलिस ने सिर्फ उसका नाम पूछा और कुछ नहीं। उसने न्यायालय में उपस्थित आरोपी शंकर राय, एतवारी देवी और विक्की कुमार की पहचान की है।

21.1 जिरह में उसने बताया कि चार बेटियों में से मालती देवी सबसे छोटी थी। मालती देवी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि शादी के समय उसका पति बेरोजगार था। मालती देवी अपने पति के साथ बीच-बीच में एक घंटे के लिए मायके जाती थी और वापस चली जाती थी। उसने घटना नहीं देखी थी। जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो उसने मालती के हाथ-पैर जखमी देखे। उसने दहेज की मांग और प्रताड़ना को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उसे घटना की जानकारी दानापुर से किसी व्यक्ति ने उसके बेटे पंकज कुमार के फोन पर शाम छह बजे दी। वह अपने बेटे पंकज कुमार के कहने पर अकेले दानापुर गई थी। वह पहले कभी अपनी बेटी के ससुराल नहीं गई थी। उसकी बेटी की साड़ी और ब्लाउज खून से सने थे। खून बिस्तर और जमीन पर भी गिरा था। पैर जमीन पर लटक रहे थे। उसने किसी को शव को जमीन पर लाते नहीं देखा। वह अस्पताल नहीं गई थी। वह रात 9:00 बजे अपनी बेटी को देखने के बाद लौटी। उसने अपने बेटे पंकज कुमार के कहने पर झूठी गवाही देने या किसी गुप्त मकसद से उसके बेटे द्वारा आरोपियों को झूठा फंसाने से इनकार किया है।

22. अ.प. 5 विमल कुमार चौधरी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 17.03.2015 को वे दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में पदस्थापित थे। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। उस बोर्ड में उनके अलावा डॉ. विवेक कुमार और आर. अविनाश कुमार सिंह भी थे। दिनांक 17.03.2015 को प्रातः 07.15 बजे उन्होंने मालती देवी, उम्र लगभग 25 वर्ष पत्नी विक्की राय, ग्राम- गोला रोड, गजाधर चक, थाना दानापुर, पटना के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्न निष्कर्ष पाए:-

बाहरी निष्कर्ष: मृत शरीर में कठोरता, आंख बंद, मुंह बंद, चेहरा अवरुद्ध, दोनों कंजक्टिवा अवरुद्ध। थायरॉइड कार्टिलेज के ऊपर 3/4 इंच का लिगेचर मार्क मौजूद है जो मास्टॉयड

प्रक्रिया की ओर तिरछा होकर गुजरता है, गर्दन की गर्दन का पिछला हिस्सा और गर्दन के दाहिने हिस्से में पिन्ना के पीछे लेट जाता है। विच्छेदन पर:-

(i) लिंगेचर मार्क-अंडरलाइन ऊतक सफेद और चमकदार दिखता है।

(ii) स्वरयंत्र और श्वासनली-म्यूकोसा भरा हुआ है। थायरॉइड की बाईं हड्डी टूटी हुई है।

(iii) छाती-दोनों फेफड़े भरे हुए हैं। विच्छेदन पर:- गहरा लाल तरल निकलता है। हृदय-दाहिने कक्ष में रक्त है, बायां खाली है। पेट-सभी विसरा भरे हुए हैं।

पेट में अपचित भोजन है। गर्भाशय-गर्भाशय का कोई भी उत्पाद नहीं है।

मृत्यु के बाद का समय: पोस्टमार्टम के 24 घंटे।

राय-हमारी राय में मृत्यु का कारण श्वासावरोध है, जो नरम के कारण फांसी के परिणामस्वरूप कार्डियो-श्वासन गिरफ्तारी है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने

पेन और हस्ताक्षर (प्रदर्श-2) में पाया है

22.1. जिरह में उन्होंने कहा है कि:-

3. बोर्ड का गठन 17.03.2015 को हुआ था।
4. वर्तमान में उनके पास बोर्ड के गठन के संबंध में कोई सबूत नहीं है।
5. उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया था।
6. उन्होंने पुलिस के कहने पर शव की पहचान की थी।
7. दो से चार घंटे बाद मृत शरीर में कठोरता आ जाती है।
8. मृत्यु के 24 घंटे बाद मृत शरीर में कठोरता गायब होने लगती है।
9. शरीर के ऊपरी हिस्से से सबसे पहले मृत शरीर में कठोरता गायब होने लगती है।
10. फांसी लगाने पर मौत का कारण दम घुटना होता है।

11. फांसी लगाने पर दम घुटने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं हो सकता।
12. उन्हें ग्रीवा कशेरुका का फ्रैक्चर नहीं मिला।
13. उन्हें लिगेचर के लाल निशान नहीं मिले।
14. उसे लिगेचर की कोई सामग्री नहीं मिली।
15. वह हत्या करके फांसी लगाने और आत्महत्या करके फांसी लगाने में अंतर कर सकता है।
16. हत्या करके फांसी लगाने में संघर्ष के निशान होंगे।
17. उसने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाने का प्रकार नहीं लिखा है।
18. कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के और भी कई कारण हैं।
19. सॉफ्ट लिगेचर का मतलब है कि लिगेचर की तरफ कोई कट का निशान नहीं है।
20. हार्ड लिगेचर में चोट और घर्षण मौजूद होता है।
21. गर्दन में धोती और साड़ी बांधने से सॉफ्ट लिगेचर संभव है।
22. उसने शव के रंग का उल्लेख नहीं किया।
23. उसने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव की जीभ की स्थिति नहीं लिखी है।
24. यह कहना सही नहीं है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैज्ञानिक नहीं है।

23. अ.प. 6 अविनाश कुमार सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 17.03.2015 को वे अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। उसी दिन उन्होंने मालती देवी पत्नी विक्की राय के शव का *पोस्टमार्टम* किया था। मालती देवी के शव के पोस्टमार्टम के लिए तीन डॉक्टरों का बोर्ड गठित किया गया था। उस बोर्ड में डॉक्टर विमल कुमार चौधरी और डॉ विवेक कुमार थे। मालती देवी के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी वे सहमत थे। उन्होंने *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था। उन्होंने मालती देवी के शव के *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट की पहचान की है। उन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 2/1) पर अपना और डॉ विवेक कुमार के हस्ताक्षर की भी पहचान की है।

24. 7 श्रीनिवास राय ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 16.03.2015 को वे दानापुर थाने में बतौर एस.आई. पदस्थापित थे। वे संध्या गश्ती इयूटी पर थे। नासरीगंज में उन्हें 18.15 बजे वायरलेस पर संदेश मिला कि गोला रोड स्थित गजाधर चक में एक महिला ने फांसी लगा ली है। उन्हें इसकी पुष्टि करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी मिला। इसके बाद वे पुलिस बल के साथ गजाधर चक पहुंचे। वहां उदय शंकर राय के दो मंजिला भवन के ऊपरी मंजिल में उन्होंने एक शव को पंखे से दुपट्टे से बंधा हुआ लटकता हुआ देखा। उन्होंने इसकी सूचना एस.एच.ओ. तथा अन्य वरीय अधिकारियों को दी। उन्होंने दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पर्याप्त रोशनी में जांच रिपोर्ट तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। अपनी आगे की जांच में उन्होंने दानापुर के पुलिस निरीक्षक संदीप कुमार सिंह (विरोध पर एक्सटेंशन 3) द्वारा सत्यापित जांच रिपोर्ट की पहचान की है। उन्होंने शव चालान (विरोध पर एक्सटेंशन 4) की भी पहचान की है। उनकी सूचना पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और एसआई नवीन कुमार राय (विरोध पर एक्सटेंशन 5) द्वारा जब्ती सूची तैयार की गई। उन्होंने जांच का प्रभार लेने के बाद 16.03.2015 को जांच शुरू की और गांव- गोला रोड, गजाधर चक की ओर बढ़ गए। घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि मृतक के रिश्तेदार परेशान थे। उन्होंने अगले दिन यानी 17.03.2015 को सूचक पंकज कुमार का पुनर्कथन दर्ज किया, जिसमें उन्होंने एफआईआर में दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने उनके साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पैरा-14 में उन्होंने घटनास्थल का वर्णन किया है। उन्होंने पाया कि शव छत के हुक से लटका हुआ था और पैर बिस्तर को छू रहे थे। घटनास्थल पर बयान देने वाला कोई नहीं था।

24.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि 18.03.2015 को उन्होंने गवाह मनीषा देवी, सीता देवी और धनंजय कुमार के बयान दर्ज किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की। 31.05.2016 को उन्होंने एफआईआर के आरोपी विक्की कुमार, उदय शंकर राय

और एतवारी देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा-304 बी/34 के तहत आरोप पत्र पेश किया। उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए मूल आरोप पत्र (एक्सटेंशन-8) की पहचान की है। उन्होंने न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया और न ही उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने अपनी आगे की जिरह में कहा है कि उन्होंने मुखबिर का नाम नहीं बताया। उन्होंने जांच रिपोर्ट पर किसी के हस्ताक्षर नहीं लिए थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शव का चालान तैयार किया था। उन्होंने कहा है कि जब्ती सूची के प्रदर्श में क्रमांक 5 पर 17 अंकित है। हालांकि तिथि में अधिलेखन है, लेकिन तिथि स्वयं 16 अंकित है। केस डायरी के कंडिका-3 में उल्लेख है कि वे घटनास्थल पर कारण सहित नहीं गए थे। उन्होंने किसी भी आस-पास के निवासी का बयान दर्ज नहीं किया। उन्होंने केस डायरी के कंडिका-11 में कहा है कि घटनास्थल पर उल्लेख योग्य कोई वस्तु नहीं मिली। उन्होंने दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में किसी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया। सीता देवी ने यह नहीं कहा था कि मालती देवी पंखे से लटकी हुई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके पुत्र पंकज कुमार ने फोन पर सूचना दी थी। सीता देवी ने आगे कहा कि जब वे गजाधर चक आई, तो अपनी पुत्री को मृत पाया। उन्होंने कहा कि गवाह धनंजय कुमार ने मृतक मालती देवी को पंखे से लटकते हुए नहीं देखा था। उन्होंने केस डायरी के पैरा 29 में कहा है कि 03.04.2015 तक *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि तीन डॉक्टरों में से एक ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि पैरा 33 में उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें 29.04.2015 को *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट प्राप्त हुई। सूचक ने अपने फर्दबयान में यह नहीं बताया है कि जब वह घटनास्थल पर गया था, तो उसने अपनी बहन को पंखे से लटकते हुए देखा था और उसके पैर चारपाई को छू रहे थे। साक्षी मनीषा देवी ने कहा था कि मृतका के ससुराल वाले मृतका के साथ मारपीट या दुर्यवहार करते थे। सीता देवी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि उनके दामाद विक्की कुमार और उनके माता-पिता मृतका को जान से मारने या मांग पूरी न होने पर विक्की कुमार की दूसरी शादी करवाने की धमकी देते थे। उन्होंने आगे कहा है कि न तो उन्होंने और न ही किसी अन्य पुलिसकर्मी ने

रस्सी काटकर शव को उतारा था। उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों के आदेश पर आरोप पत्र समर्पित किया था। उन्होंने दोषपूर्ण जांच करने के सुझाव से इनकार किया है।

25. डी.डब्लू. 1 दीपक कुमार के साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक्सटेंशन-ए और एक्सटेंशन-बी, सहारा इंडिया, दानापुर में 14,000/- रुपये की सावधि जमा की मूल रसीद और सहारा इंडिया, दानापुर के शाखा प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र का औपचारिक गवाह है।

26. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है।

27. अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह पता चलता है कि सूचक, पी.डब्लू. 1 ने *फर्दबयान* देते समय विशेष रूप से आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा संबंधित घटना से आठ दिन पहले सूचक और उसके परिवार के सदस्यों से 50,000/- रुपये दहेज की मांग की गई थी। गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। मृतका के रिश्तेदार पी.डब्लू.1 से पी.डब्लू.4 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विशेष रूप से बयान दिया है कि अपीलकर्ता द्वारा 50,000/- रुपए की मांग की गई थी और जब 2 से 4 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित घटना घटित हुई। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने घटना से ठीक पहले अभियुक्त द्वारा 50,000/- रुपए दहेज के रूप में मांगे जाने को विधिवत साबित कर दिया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों, जिनमें पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.7, आई.ओ. शामिल हैं, के साक्ष्य से यह भी पता चला है कि शव पंखे से लटक रहा था और उसके पैर चारपाई को छू रहे थे। इसके अलावा, जांच रिपोर्ट, प्रदर्श-3 से भी यह पता चला है कि शव पंखे से लटक रहा था और

उसके पैर चारपाई को छू रहे थे। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि मृतका की मृत्यु उसकी शादी की तारीख से 3-4 साल की अवधि के भीतर अप्राकृतिक रूप से हुई थी। इस स्तर पर, जांच रिपोर्ट के कॉलम-4, प्रदर्श-3 से यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि दाहिनी मुट्ठी काले बालों को जकड़ रही थी।

28. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि मृतक की मृत्यु से पहले संघर्ष का संकेत था। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा-304 बी के सभी तत्वों को विधिवत साबित कर दिया है।

29. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष के गवाहों, जिनमें आई.ओ. भी शामिल है, द्वारा दिए गए बयान और जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि शव पंखे से लटका हुआ था और उसके पैर बिस्तर को छू रहे थे, और इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृत्यु आत्महत्या नहीं थी और विशेष रूप से तब जब उसकी दाहिनी मुट्ठी उसकी मृत्यु से ठीक पहले काले बालों को पकड़ रही थी और इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क देना सही नहीं है कि वर्तमान मामला आत्महत्या का है न कि हत्या का। इस स्तर पर, हम पी.डब्ल्यू. के बयान को संदर्भित करना चाहेंगे। 5 डॉ. विमल कुमार चौधरी, मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* करने वाले डॉक्टर। उक्त गवाह ने बाहरी निष्कर्ष में विशेष रूप से दर्ज किया है कि कठोर मोर्टिस मौजूद है, आंख बंद है, मुंह बंद है, चेहरा भरा हुआ है, दोनों कंजंकटिवा भरा हुआ है। थायरॉयड उपास्थि के ऊपर 3/4 इंच का एक लिंगेचर मार्क मौजूद है जो मास्टॉयड प्रक्रिया की ओर तिरछा है, गर्दन की गर्दन बाधित है और गर्दन के पीछे दाईं ओर लेट है। इसके अलावा, डॉक्टर ने यह भी कहा है कि, हत्या के मामले में, संघर्ष के संकेत होंगे। इसके अलावा, *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट में थायरॉयड हड्डी के बाएं कॉर्न के फ्रैक्चर होने का भी सुझाव दिया गया है। इस प्रकार, डॉक्टर द्वारा दिए गए बयान और मोदी के

मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान में संदर्भित लक्षणों के साथ-साथ जांच रिपोर्ट सहित अन्य सबूतों से, अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि यह हत्या का मामला है।

30. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का भार पूरा कर दिया है कि यह हत्या का मामला है और इसलिए, यह भार अभियुक्त पर आता है कि वह यह बताए कि वह संबंधित घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। इस स्तर पर, यह ध्यान में रखना चाहिए कि मृतका की मृत्यु उसके वैवाहिक घर यानी अपीलकर्ता के घर पर हुई थी। उसकी मृत्यु उसके विवाह के 3-4 वर्ष के भीतर हुई थी। इसलिए, अपीलकर्ता को ठोस सबूत पेश करके यह साबित करना होगा कि वह संबंधित समय पर मृतका के साथ उक्त घर में नहीं रहता था या घटना के समय वह घर में या यहां तक कि इलाके में भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष धारा-313 सीआरपीसी के तहत बयान देते समय, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने कोई बचाव नहीं किया है। यहां तक कि अपीलकर्ता का यह मामला भी नहीं है कि मृतका ने आत्महत्या की थी। इस प्रकार, हमारा विचार है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 में निहित प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर लागू होंगे।

31. इस स्तर पर, हम **बख्शीश राम (सुप्रा)** के मामले में दिए गए निर्णय पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा-8** में निम्नलिखित टिप्पणी की है:- "

"8. सिबो (पीडब्लू 2) के एकमात्र साक्ष्य की सराहना करने के लिए, धारा 304-बी आईपीसी के तहत "दहेज मृत्यु" की परिभाषा को संदर्भित करना उपयोगी है, जो इस प्रकार है:

"304-बी. दहेज मृत्यु.- (1) जहां किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में होती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या

उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, 'दहेज' का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज हत्या करता है, उसे कम से कम सात वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 304-बी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि विवाहित महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से होती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को मृत्यु का कारण माना जाएगा। इस धारा के तहत अपराध स्थापित करने की पूर्व शर्तें हैं:

- (ए) कि विवाहित महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई थी;
- (बी) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी; और
- (सी) अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न हुआ था। यह धारा तब लागू होगी जब मृत्यु की घटना से पहले पति या ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो और मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई हो। इस धारा के पीछे का उद्देश्य पति या पत्नी पर दोष तय करना है। ससुराल वालों पर आरोप लगाया हालाँकि वास्तव में उन्होंने मौत का कारण नहीं बनाया।"

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, यदि उपरोक्त वर्णित साक्ष्य की जांच की जाए, तो हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा-304 बी के तत्वों को साबित कर दिया है।

33. शिवाजी चिंतप्पा पाटिल (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-13 से 23 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"13. वर्तमान मामले में, पीडब्लू 6 डॉ किशोर पटकी की चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में जांच की गई है। उन्होंने अपने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ तंबोली के साथ शव परीक्षण किया है। 24-3-2003 को पीडब्लू 6 के हस्ताक्षर से जारी अग्रिम मृत्यु प्रमाण पत्र (एक्सटेंशन 15) में, मृत्यु का संभावित कारण "गला घोटने के कारण दम घुटना" था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्सटेंशन 16) में, जिस पर 19-6-2003 को डॉ किशोर पटकी और डॉ तंबोली दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं, मृत्यु का कारण "फांसी के कारण दम घुटने के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट" था। पीडब्लू 6 द्वारा अपने साक्ष्य में दिए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में लगभग 3 महीने की अत्यधिक देरी का एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि वह किसी अन्य काम में व्यस्त था।

14. पीडब्लू की जिरह का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा 6:

"यह सही है कि आत्महत्या या हत्या के लिए फांसी लगाने के दोनों मामलों में गर्दन के चारों ओर लगा लिंगेचर निशान कानों तक जाएगा। यह सही है कि अग्रिम मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मैंने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से परामर्श नहीं किया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करने और पुस्तकों को देखने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि यह फांसी का मामला था। अनुच्छेद 1 का उपयोग आत्महत्या के लिए फांसी लगाने के लिए किया जा सकता है और हत्या के लिए फांसी लगाने या हत्या के लिए गला घोटने के मामले में शारीरिक प्रतिरोध मेरी उपस्थिति में दर्ज अन्य बातों को दर्शाता है।"

15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चिकित्सा विशेषज्ञ ने स्वीकार किया है कि आत्महत्या या हत्या दोनों ही मामलों में गर्दन के चारों ओर बंधन के निशान कानों तक जाने चाहिए। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि अपने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करने और पुस्तकों को देखने के बाद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यह फांसी का मामला था। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 1 जो एक रस्सी है, जो मौके पर पाई जाती है, का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए फांसी लगाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि हत्या के लिए गला घोटने के मामले में, शारीरिक प्रतिरोध परिलक्षित होता है।

16. ईश्वरप्पा [ईश्वरप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 16 एससीसी 269: (2020) 2 एससीसी (क्रि) 277] में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसमें इस न्यायालय ने मोदी के

चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान पर भरोसा किया और इस प्रकार देखा: (एससीसी पृष्ठ 271, पैरा 7)

"7. मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान, 23 वें संस्करण, पृष्ठ 572 में यह इस प्रकार देखा गया है: "

हत्या के लिए फांसी, हालांकि दुर्लभ है, दर्ज की गई है। आमतौर पर, इस कृत्य में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, जब तक कि पीड़ित बच्चा या बहुत कमजोर और दुर्बल न हो, या किसी मादक या नशीली दवा के कारण बेहोश हो गया है। ऐसे मामले में, जहां प्रतिरोध किया गया है, शरीर पर हिंसा के निशान और संघर्ष के निशान या घटनास्थल पर या उसके आस-पास कई व्यक्तियों के पैरों के निशान पाए जाने की संभावना है।

विद्वान लेखक द्वारा संदर्भित कोई भी प्रसिद्ध संकेत इस मामले में मौजूद नहीं है।

17. वर्तमान मामले में भी, बेशक, शरीर पर कोई निशान नहीं है जो हिंसा या संघर्ष का सुझाव दे। किसी भी मामले में, चिकित्सा विशेषज्ञ ने खुद आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसके विपरीत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत का कारण "फांसी के कारण दम घुटना" था।

18. इस साक्ष्य के प्रकाश में, हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट और साथ ही उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि मृतक की मौत हत्या थी।

19. इससे हम उच्च न्यायालय और साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों पर भरोसा करने की ओर अग्रसर होते हैं। *सुब्रमण्यम [सुब्रमण्यम बनाम टी.एन. राज्य, (2009) 14 एससीसी 415: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1392]* में, इस न्यायालय को इसी तरह के मामले पर विचार करने का अवसर मिला था। पति और पत्नी घर की चारदीवारी के भीतर रहते हैं और मृत्यु हो जाती है। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा: (एससीसी पृष्ठ 426, पैरा 23)

"23. जहां तक इस परिस्थिति का संबंध है कि वे एक साथ रह रहे थे, निस्संदेह, स्थिति की संपूर्णता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आम तौर पर जब पति और

पत्नी घर की चारदीवारी के भीतर रहते हैं और हत्या से मृत्यु हो जाती है तो पति को उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी होगी जिनमें उसकी मृत्यु हुई होगी। हालांकि, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हालांकि इसे एक मजबूत परिस्थिति माना जा सकता है, लेकिन मृतक पर हिंसा के किसी भी सबूत के अभाव में इसे निर्णायक नहीं माना जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है कि पति और अकेले पति ही इसके लिए जिम्मेदार था।"

20. सुब्रमण्यम [सुब्रमण्यम बनाम टी.एन. राज्य, (2009) 14 एससीसी 415: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1392] में, राज्य की ओर से त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य [त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681: (2007) 1 एससीसी (क्रि) 80] और पोन्नुसामी बनाम टी.एन. राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा गया था। [पोन्नुसामी बनाम तमिलनाडु राज्य, (2008) 5 एससीसी 587: (2008) 2 एससीसी (क्रि) 656] इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: (सुब्रमण्यम मामला [सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य, (2009) 14 एससीसी 415: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1392], एससीसी पृष्ठ 428, पैरा 26)

"26. उपर्युक्त दोनों मामलों में, मृत्यु हिंसा के कारण हुई। इस मामले में, हिंसा का कोई निशान नहीं था। अपीलकर्ता को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया है। जहां तक दहेज निषेध अधिनियम की धारा 498-ए या धारा 4 के तहत आरोपों का संबंध है, मृतक के माता-पिता पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के साक्ष्य के साथ-साथ मध्यस्थ, पीडब्लू 4 और 5 को दोनों निचली अदालतों ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष की कहानी का वह हिस्सा जो अपीलकर्ता की ओर से हत्या करने के लिए मजबूत मकसद का सुझाव देता है, इस प्रकार खारिज कर दिया गया है।

21. गार्गी [गार्गी बनाम हरियाणा राज्य, (2019) 9 एससीसी 738: (2019) 3 एससीसी (क्रि) 785] (एससीसी पृष्ठ 775, पैरा 33) में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ देना भी प्रासंगिक होगा:

“33.1. जहां तक “अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत” का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी थी और एक ही छत के नीचे रह रही थी, वह आखिरी व्यक्ति थी जिसके साथ मृतक को देखा गया था। हालांकि, मृतक और अपीलकर्ता का ऐसा साथ अपने आप में यह मतलब नहीं है कि अपीलकर्ता के दोषी होने का अनुमान लगाया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह मानकर आगे बढ़े हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 [“106. तथ्य को साबित करने का भार विशेष रूप से ज्ञान के भीतर। - जब कोई तथ्य विशेष रूप से ज्ञान के भीतर किसी व्यक्ति के ज्ञान में, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।] सीधे अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्य करता है। हमारे विचार में, ऐसा दृष्टिकोण भी त्रुटि से मुक्त नहीं रहा है, जहां यह विचार करना छोड़ दिया गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को उसके प्राथमिक भार से मुक्त नहीं करती है। इस न्यायालय ने सावल दास बनाम बिहार राज्य [सावल दास बनाम बिहार राज्य, (1974) 4 एससीसी 193: 1974 एससीसी (क्रि) 362] में सिद्धांत को निम्नलिखित में समझाया है: (एससीसी पृष्ठ 197, पैरा 10)

‘10. न तो धारा 103 और न ही धारा 106 का आवेदन, हालांकि, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के अपने सामान्य या प्राथमिक भार का निर्वहन करने के कर्तव्य से मुक्त कर सकता है। यह केवल तभी होता है जब अभियोजन पक्ष ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हों, जिन पर विश्वास करने पर दोषसिद्धि कायम रहेगी, या जो प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तब उन तथ्यों पर विचार करने का प्रश्न उठता है, जिनके सबूत का भार अभियुक्त पर हो सकता है।’

22. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 सीधे तौर पर पति या पत्नी के खिलाफ काम नहीं करती है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए व्यक्ति हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के अपने प्राथमिक भार से मुक्त नहीं करती है। यह केवल तभी होता है जब अभियोजन पक्ष ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिन पर विश्वास करने पर दोषसिद्धि हो सकती है या जो प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तब ऐसे तथ्यों पर विचार करने का प्रश्न उठता है, जिनके सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। 23. वर्तमान

मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में भी विफल रहा है कि मृत्यु हत्या थी।

34. उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त पैराग्राफ में उक्त मामले के तथ्यों के संबंध में चर्चा की है और उसके बाद जयसिंह पी. मोदी द्वारा लिखित चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, 27 वें संस्करण का संदर्भ दिया है और उसके बाद यह पाया है कि विद्वान लेखक द्वारा संदर्भित कोई भी प्रसिद्ध लक्षण उक्त मामले में मौजूद नहीं है। हालांकि, हम पहले ही संघर्ष के निशानों के संबंध में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जो जांच रिपोर्ट, प्रदर्श-3 के कॉलम-4 से परिलक्षित होता है, साथ ही यह तथ्य भी है कि शव पंखे से लटका हुआ था और उसके पैर बिस्तर को छू रहे थे।

35. इसके अलावा, जहां तक उपरोक्त निर्णय के पैरा-22 में साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 के संबंध में की गई टिप्पणी का संबंध है, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि वर्तमान में मृतका की हत्या की गई है। हत्या के मामले में, इसलिए, जब अपीलकर्ता पति और मृतक एक ही छत के नीचे रह रहे थे, तो मौत का कारण बताने और घटना किस तरह हुई, यह साबित करने का भार अपीलकर्ता/अभियुक्त पर होगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता इस भार को पूरा करने में विफल रहा है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि उपरोक्त निर्णय अपीलकर्ता/अभियुक्त को मामले के तथ्यों में वर्तमान मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

36. हमने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तर्कों पर भी गौर किया है।

37. हमारा मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए, वर्तमान अपील में इस न्यायालय द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

38. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रामेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।